राजनीतिक

● भाजपा की सफलता का राज!

भाजपा की सफलता का राज क्या है गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार भाजपा में नेता सुबह छह बजे से रात एक बजे तक काम करते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षक गृह मंत्री के इस दृष्टिकोण से सहमत हैं।

● अब भाजपा में 75 वर्ष की कोई आयु सीमा नहीं है

अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अब भाजपा में रिटायरमेंट की कोई उम्र सीमा नहीं रह गई है। अभी तक पार्टी में रिटायरमेंट की उम्र 75 साल थी।

प्रशासनिक

● 2006 से 2020 बैच के आईएएस अधिकारी कलेक्टर/डीसी के रूप में कार्यरत

व्हिस्परसिनदकॉरिडोर्स के सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 2006 से 2020 बैच के आईएएस अधिकारी वर्तमान में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहे हैं। 2006 बैच के एक अधिकारी पश्चिम बंगाल में कलेक्टर के पद पर तैनात हैं, जबकि 2020 बैच के कई अधिकारी भी विभिन्न राज्यों में कलेक्टर/डीसी के पद पर तैनात हैं।

● इस वर्ष आधा दर्जन सीपीओ रिक्त होंगे

आधा दर्जन केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) में रिक्तियां होंगी। इनमें एसएसबी, आरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ और होमगार्ड तथा सिविल डिफेंस शामिल हैं।

● टीवी सोमनाथन को प्रधानमंत्री पर इतना भरोसा क्यों है

तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी और अर्थशास्त्र में पीएचडी रखने वाले टीवी सोमनाथन एक सिविल सेवक के रूप में एक अर्थशास्त्री के साथ-साथ नौकरशाह के भी सर्वोत्तम गुण रखते हैं। सोमनाथन को पिछले साल अगस्त में दो साल के लिए कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था। वह वास्तव में नौकरशाही में एक संपत्ति हैं जो अर्थव्यवस्था को गुणक प्रभाव दे रही है। वह देश की राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्राथमिक एंकरों में से एक रहे हैं। 2010 में, वह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में सेवा करने के लिए पहली बार प्रतिनियुक्ति पर केंद्र आए, लेकिन एक साल से भी कम समय में, वह विश्व बैंक के अनुरोध पर वाशिंगटन, डीसी चले गए। विश्व बैंक में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, 2015 में, सोमनाथन केंद्र में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के पीएमओ में वापस आ गए-एक ऐसा जुड़ाव जो एक दशक से अधिक समय तक चला है। यहां, उन्होंने महत्वपूर्ण राजकोषीय सुधारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 2019 में ही वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वापस लौटे और अंततः देश के शीर्ष सिविल सेवक बन गए। 2019 से 2024 तक, सोमनाथन ने अपने गृह क्षेत्र - वित्त मंत्रालय - में पहले व्यय सचिव और फिर वित्त सचिव के रूप में कार्य किया।

● अब कोई भी यूपीएससी सदस्य सेवानिवृत्त नहीं होगा

इस महीने के अंत में यूपीएससी अध्यक्ष सुश्री प्रीति सूदन की सेवानिवृत्ति के बाद, 2025 और 2026 में कोई भी सदस्य सेवानिवृत्त नहीं होगा।

● मणिपुरः गृह मंत्रालय शांति वार्ता के भविष्य को लेकर चिंतित

दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा आयोजित कुकी-ज़ो और मीतेई नागरिक समाज समूहों के बीच पहली बैठक हालांकि सौहार्दपूर्ण रही, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। कहा जाता है कि कुकी पक्ष की ओर से प्रतिबद्धता की कमी के कारण केंद्र सरकार की टीम विशेष रूप से नाखुश है। सरकारी टीम का नेतृत्व उत्तर पूर्व सलाहकार ए.के. मिश्रा ने किया, जो खुफिया ब्यूरो के सेवानिवृत्त विशेष निदेशक हैं। टीम शांति प्रक्रिया के भविष्य को लेकर चिंतित थी। कुकी-ज़ो नेता अपनी मांगों पर अड़े रहे, जैसा कि एमएचए के प्रतिनिधि भी थे। अल्पकालिक और दीर्घकालिक मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के 22 महीने बाद बैठक हुई। कुकी प्रतिनिधिमंडल में लगभग नौ प्रतिनिधि शामिल थे।

● डॉ. अक्षय जैन मूल कैडर में वापस लौटे

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में उप सचिव डॉ. अक्षय जैन को व्यक्तिगत आधार पर समय से पहले उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया है। वे 2011 बैच के आईआरएस-आईटी अधिकारी हैं।

● कामेश कसाना बीईएल के निदेशक (ओयू) के रूप में चुना

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सैन्य संचार महाप्रबंधक कामेश कसाना को 8 अप्रैल, 2025 को आयोजित सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) की बैठक में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के निदेशक (अन्य इकाइयां) के पद के लिए चुना गया है। इसके लिए 12 व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया गया था।

● एचएएल के निदेशक (ई, आरएंडडी) के लिए साक्षात्कार आज

सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) 9 अप्रैल, 2025 को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में निदेशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास) के पद के लिए साक्षात्कार आयोजित कर रहा है।

● ओएनजीसी में निदेशक (एक्सपी) के लिए 12 उम्मीदवारों को चुना गया

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) के निदेशक (अन्वेषण) के पद के लिए 12 उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

● महाराष्ट्र में पांच आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

सीके डांगे को महाराष्ट्र राज्य मत्स्य विकास निगम, मुंबई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि संजय काटकर को महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी निगम, मुंबई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि श्रीमती अनीता मेश्राम को जिला परिषद, अकोला की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, अभिनव गोयल को कल्याण-डोंबिवली नगर निगम, कल्याण का नगर आयुक्त और श्रीमती आयुषी सिंह को महाराष्ट्र के नागपुर में अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त नियुक्त किया गया है।

निवेश प्रोत्साहन और फैसिलिटेशन के ग्लोबल मॉडल के रूप में विकसित हो 'इन्वेस्ट यूपी' : योगी

सभी निवेशकों की सुविधा और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता

लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औद्योगिक परिवेश को और बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्ट यूपी को मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन एजेंसी के रूप में कार्य करना होगा।

इसके लिए आवश्यक है कि विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जाएं। हमारे पास हर सेक्टर के इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट होने चाहिए, जो अपने अनुभव और विशेषज्ञता के अनुसार ग्लोबल लेवल पर इंडस्ट्री से सुविधाजनक ढंग से संवाद और समन्वय बना सकें और प्रदेश में अधिकाधिक निवेश आए।

मंगलवार को इन्वेस्ट यूपी के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए विगत 08 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में औद्योगिक जगत की पहली पसंद बन कर उभरा है। इस सकारात्मक माहौल को और बेहतर बनाने

की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यद्यपि ऑनलाइन फ्रंट एंड सिंगल विंडो बनाई गई है और उद्यमियों को इसका लाभ भी प्राप्त हो रहा है, किंतु अब भी कतिपय प्रकरणों में निवेशकों को स्वीकृतियों के लिए अन्य विभागों से संपर्क करना पड़ता है। इसी प्रकार, यह भी देखने को मिला है कि निवेश की श्रेणी के आधार पर विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। पूरे अर्थों में सिंगल विंडो की व्यवस्था लागू होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश मित्र की पुनर्संरचना की जाए। तकनीक की सहायता से ऐसी व्यवस्था करें, जिससे कि उद्यमियों के आवेदन अन्य विभागों को रीडायरेक्ट नहीं हो।सभी विभागों को जोड़ें। प्रत्येक आवेदन का निस्तारण तय समय सीमा के भीतर होना सुनिश्चित करायें। यदि तय समय सीमा के भीतर संबंधित विभाग द्वारा निस्तारण नहीं किया जाता है तो डीम्ड अनुमति मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल विंडो एक्ट लागू किया जाए, जिसके अंतर्गत बड़े निवेश के लिए औ?द्योगिक विकास विभाग? द्वारा एकल स्वीकृति मिलने की व्यवस्था हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक निवेशक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सभी की सुविधा, सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। बेहतर होगा कि इस कार्य में उद्यमी मित्रों का अधिकाधिक उपयोग किया जाए। निवेश सारथी पोर्टल को और उपयोगी बनाया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत एक चेज़िंग सेल (अनुश्रवण प्रकोष्ठ) के गठन करे। इसमें अलग-अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर के विशेषज्ञों को सम्मिलित करें। यह सेल संभावनाओं वाले सेक्टरों को तलाशे, संवाद और समन्वय बनाये।

उत्तरप्रदेश जैन तीर्थंकरों की पवित्र भूमि : मुख्यमंत्री

लखनऊ

उत्तर प्रदेश की धरती जैन तीर्थंकरों की पावन भूमि रही है। अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ, जो अयोध्या के राजा थे। अयोध्या में ही 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। वहीं, काशी की धरती पर भी तीर्थंकर का जन्म हुआ है। हमारे तीर्थंकरों ने यहीं से धर्म और साधना की परंपरा को आगे बढ़ाया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को संगीत नाटक अकादमी, गोमती नगर लखनऊ में विश्व नमोकार महामंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। शांति, ऊर्जा, सकारात्मकता और विश्व कल्याण के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जेआईटीओ) की तरफ से किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए प्रेरणादायक संदेश का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने व्यवहारिक जीवन में नमोकार महामंत्र को उतारने के लिए नौ संकल्प बताए हैं, जिन्हें हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान महावीर जयंती की शुभकामनाएं भी दीं और जैन धर्म की अहिंसा और परोपकार की शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। नमोकार महामंत्र के महत्व को बताते हुए योगी कहा कि यह महामंत्र भौतिक, दैवीय और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाने का साधन है। साधना, आत्मशुद्धि और लोक कल्याण की भावना से जुड़कर व्यक्ति न केवल स्वयं का कल्याण करता है, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी प्रेरणा बनता है।मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सभी 24 तीर्थंकरों का जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने अपने उपदेशों और साधना के माध्यम से जीवन जीने की एक उच्च परंपरा स्थापित की।

प्रयागराज में तीन वृहद् गौसंरक्षण केन्द्र का हो रहा है तेजी से निर्माण

प्रयागराज

योगी सरकार गौसंरक्षण के लिए लगातार तेजी से कार्य कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023—24 में प्रयागराज जनपद के लिए पांच वृहद गोसंरक्षण केन्द्र का प्रस्ताव मिला है।

जिनमें मुख्य पशु ?चिकित्साधिकारी के नाम तीन का नामान्तरण हो चुका है और उनका निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यह जानकारी बुधवार को मुख्य पशु चिकित्साधिकारी शिवनाथ यादव ने दी। उन्होंने बताया कि जनपद के विकास खण्ड शंकरगढ़, विकास खण्ड जसरा के रेरा गांव और उरूवा में वृहद गोशाला संरक्षण केन्द्र का निर्माण शुरू कर दिया गया है। जबकि दो गोसंरक्षण के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी के नाम जमीन का नामान्तरण नहीं हो सका है। सीबीओ शिवनाथ यादव ने बताया कि विकास खण्ड जसरा के रेरा गांव में बन रहे वृहद गोसंरक्षण केन्द्र के निर्माण कार्यों की प्रगति जानने के लिए मौके पर भी गए थे। रेरा का काम पचास फीसदी पूरा हो चुका है। कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया गया है कि सभी गोसंरक्षण केन्द्रों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें। जिससे की गोवंश को सुरक्षित करने में हो रही समस्या का अतिशीघ्र निदान हो सके।

अप्रैल के पहले सप्ताह में ही एक लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीद, खेत तक पहुंचे मोबाइल क्रय केंद्र

लखनऊ

प्रदेश में पहली बार अप्रैल के पहले सप्ताह में ही एक लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीद हुई है। इस वर्ष मोबाइल केंद्र के माध्यम से गांवों में जाकर किसानों से गेहूं खरीदा जा रहा है। अब तक 20409 किसानों से गेहूं खरीद हो चुकी है। वहीं, 3.56 लाख से अधिक किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण भी करा लिया है। गेहूं खरीद 15 जून तक चलेगी।

गेहूं की अच्छी खरीद हो, इसके लिए कटाई के पहले से ही गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क साधा गया और उन्हें सरकारी क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए प्रेरित किया गया। पंजीकरण एवं सत्यापन की व्यवस्था में व्यापक सुधार भी किया गया। खाद्य व रसद विभाग पहली बार मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से किसान के खेत तक पहुंचा। एक तरफ कटाई चल रही है तो वहीं गेहूं मौके पर तौला जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवकाश के दिनों में भी केंद्र खुले हैं, जिससे गेहूं बेचना किसानों के लिए काफी आसान हो गया है। पंजीकृत किसान सत्यापन के बिना 100 क्विंटल तक गेहूं बेच सकता है। सत्यापन के बाद उत्पादन क्षमता के तीन गुना तक गेहूं बेचने की सुविधा है। क्रय केंद्रों पर बैठने और शुद्ध पेयजल आदि की भी समुचित व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया जाए।

गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल या विभाग के मोबाइल एप यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण-नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। विभाग ने किसानों से अनुरोध किया है कि गेहूं को ओसाकर, मिट्टी, कंकड़ और धूल को साफ कर अच्छी तरह से सुखाकर ही क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए लेकर आएं।

क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद प्रतिदिन सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक हो रही है। दिक्कतों के समाधान के लिए खाद्य व रसद विभाग ने टोल फ्री नंबर 18001800150 जारी किया है। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस बार सरकार ने 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। खाद्य विभाग समेत आठ क्रय एजेंसियों के ने कुल 5780 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं।

जाहिर सूचना

प्लॉट म. नं. 45 का उत्तरी भाग, माप 510 वर्गफिट, सूबेदार कॉलोनी, टीलाजमालपुरा, सोनी भवन के पास, तह. हुजूर, जिला भोपाल

मेरे पक्षकार हिन्दुजा हाऊसिंग फाइनेंस लि., शाखा जोन-2. एम. पी. नगर, भोपाल की ओर से सर्वसाधारण को सूचित हो कि श्रीमती किरण मेहरा पत्नी श्री अनिल मेहरा ने अपनी 01 संपत्ति जो कि प्लॉट म. नं. 45 का उत्तरी भाग, माप 510 व. फि. सूबेदार कॉलोनी, टीलाजमालपुरा, सोनी भवन के पास, वार्ड नं. 15, तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है, को मेरे पक्षकार बैंक के पास बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया है। उक्त संपत्ति की नाप 510 वर्गफिट होकर चर्तुसीमायें पूरव साहू जी का मकान, पश्चिम-4 फिट चौड़ी सड़क, उत्तर-रोड / गली व दक्षिण में प्लॉट नं. 45 का शेष भाग है। उक्त संपत्ति श्रीमती किरण ने विक्रेता श्रीमती इमरत बाई से ई-पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दि. 07/02/25 को क्रय थी जिसका इन्द्राज उप पंजीयक,भोपाल-1 में MP 059692025A1089219 पर पंजीकृत है। यह कि पूर्व में संपूर्ण संपत्ति श्रीमती लक्ष्मी बाई के हक में थी जिनके देहांत उपरान्त उनके विधिक उत्तराधिकारियों अनुज, सविता एवं ऊषा शर्मा द्वारा संपत्ति का आगे हस्तांतरण किया गया। इस प्रकार से उक्त संपत्ति पर श्रीमती किरण मेहरा का वैधानिक स्वत्व एवं स्वामित्व माना गया है संपत्ति से संबंधित सभी लिंक दस्तावेज, पावती इत्यादि मेरे पक्षकार बैंक के पास सुरक्षित रखे गए हैं। यदि उक्त सम्पति में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, सोसायटी इत्यादि का किसी भी प्रकार का ऋण, भार, दान, बंधक या कोई हित हो या उक्त संपति पर किसी प्रकार का अनुबंध हो तो वह व्यक्ति, इस सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित में मय दस्तावेजी प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। यदि उक्त समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो मेरा पक्षकार उक्त संपति को बंधक रखकर ऋण प्रदान कर देंगे तथा अवधि पश्चात प्राप्त होने वाली कोई भी आपत्ति या विवाद न तो मेरे पक्षकार पर बंधनकारी होगा एवं न ही मान्य होगा ।

ABHISHEK PANSARI, ADVOCATET
Off. - Shop No. 02, Distt. Bar Canteen, Arera Hills, Bhopal-462011
Mob : 9993186085

92

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने विक्रेता श्री प्रेमसिंह पटवाल पिता श्री हीरासिंह पटवाल, निवासी-टी टी नगर, भोपाल (म.प्र.) के स्वत्व, स्वामित्व और आधिपत्य की कृषि भूमि 0.0223 हेक्टेयर अर्थात 223.04 वर्गमीटर जिसे सुविधा की दृष्टि से भूखण्ड क्र. 89/अ दिया गया है जो कि खसरा नं. 509 कुल रकबा 5.346 हेक्टेयर का अंश भाग होकर ग्राम बरखेड़ा नाथू (मुख्य मार्ग से अन्दर), प.ह.नं.-33/49, राजस्व निरीक्षक मण्डल क्र. 3 विकासखंड-फन्दा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं पूर्व दिशा में खसरा क्र.509 का शेष भाग/भू.क्र.90, पश्चिम दिशा में खसरा क्र. 509 का शेष भाग/10 फुट चौड़ा रास्ता, उत्तर दिशा में खसरा क्र. 509 का शेष भाग /भू.क्र. 89 ब, दक्षिण दिशा में खसरा क्र. 509 का शेष भाग/भू.क्र.88 है, को क्रय करने हेतू अनुबंध कर लिया है एवं बयाना राशि विक्रेता को प्रदान कर दी है। यदि किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सोसायटी, व्यक्ति या संस्था के पास उक्त संपत्ति विक्रय, दान, बंधक हो अथवा उक्त संपत्ति में किसी भी व्यक्ति को उक्त व्यवहार से आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से सात दिवस की अवधि में दस्तावेजों के साथ मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी और मेरा पक्षकार उक्त वर्णित संपत्ति का विक्रय पत्र पंजीयन अपने पक्ष में करवाने हेतु स्वतंत्र होवेगा।

सुनील पाटीदार, अधिवक्ता
पाटीदार लॉ चेम्बर, कार्यालय ऑफिस नं.-7, एच. पी. पेट्रोल पंप आकृति इको सिटी के पास, मैन रोड, सलेया, भोपाल (म.प्र.) - 462026
मो. 9827608022

93

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, करोंद, बैरसिया रोड, भोपाल में स्थित भूखण्ड क्रमांक-760/ए मण्डल द्वारा श्री अहमद नूर आत्मज श्री मोहम्मद शफी के नाम से हस्तांतरित है। उक्त सम्पति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 31/03/2009 को पंजीकृत है। श्री अहमद नूर आत्मज श्री मोहम्मद शफी द्वारा उक्त सम्पति श्री हुसैन अली आत्मज श्री अलमदार हुसैन को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 31/03/2009 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पति श्री हुसैन अली आत्मज श्री अलमदार हुसैन के पक्ष से हस्तांतरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

94

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, निवेश नगर, मैनिट गेट के पास, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल में स्थित भूखण्ड क्रमांक-7 मण्डल द्वारा श्री सरस्वती प्रसाद हजेला (श्री एस.पी. हजेला) आत्मज स्व. श्री माधो राम के नाम पर आवंटित है। उक्त सम्पति का विक्रय विलेख दिनांक 05/06/1984 को एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 16/07/2014 को पंजीकृत किया गया है। उक्त सम्पति का लीज समयावधि दि. 24/05/2044 तक वैध है। श्री सरस्वती प्रसाद हजेला का स्वर्गवास दिनांक 13/01/2025 को हो गया है। आवेदक आवंटी के एक पुत्र डॉ. अनूप कुमार हजेला आत्मज स्व. श्री सरस्वती प्रसाद हजेला (एस. पी. हजेला) द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, अन्य वारिसों के अनापत्ति शपथ पत्र एवं मण्डल का निर्धारित आवेदन पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पति अपने नाम से नामांतरण करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया है, उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पति के नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी / संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

95

आम सूचना

सर्वसाधारण को मेरी पक्षकारा के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा द्वारा श्री हनुमत वर्मा आ. स्व. श्री रामदास वर्मा एवं श्री अजय वर्मा आ. स्व. श्री रामदास वर्मा निवासीगण ब्लाक क्र. बी-4, फ्लेट क्र. 07, श्याम नगर, जी-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र. के स्वत्व, स्वामित्व एवं मालिकाने हक का एक किता आवासीय भवन क्रमांक 136-ए, जिसके प्लाट का कुल क्षेत्रफल 450 वर्गफिट अर्थात 41.82 वर्गमीटर जो कि भूमि ख.क्र. 24/1/8/1-57, 58/2/7/4, 57, 58/1, 58/2/7/5 एवं 24/1/8/2, 57, 58/1, 58/2/7/12 का अंशभाग होकर विनीतकुंज कॉलोनी, ग्राम अकबरपुर, प.ह.नं. 39, नगर निगम वार्ड क्र. 83, तहसील कोलार व जिला म.प्र. में स्थित को क्रय करने हेतु संपत्ति स्वामि के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा है। यदि उपरोक्त अचल संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों/संस्था/बैंक/वित्तीय संस्था/नगर निगम/भोपाल विकास प्राधिकरण/मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल भोपाल, गृह निर्माण सहकारी संस्था/समिति/सोसायटी/सहकारिता विभाग आदि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/मातालबात आदि हो या किसी के पास उक्त संपत्ति से संबंधित को अनुबंध आदि हो तो वह मय दस्तावेजी प्रमाण के इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से **07 (सात) दिवस** के भीतर मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा बाद मियाद उत्पन्न होने वाली समस्त आपत्तियाँ मेरी पक्षकारा पर बंधनकारी नहीं होंगी और मेरी पक्षकारा उक्त संपत्ति स्वामीगण से अनुबंध निष्पादित कर टोकन राशि का भुगतान कर एवं अनुबंध की अवधि के उपरान्त अपने नाम पर उपरोक्त अचल संपत्ति को उप पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत करवाने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र होंगे।

भवदीय-
संतोष पाणिक्कर अधिवक्ता
किंग्स कॉम्पलेक्स,डी.बी.मॉल के सामने, द्वितीय तल,फ्लाट नं.-244,एम.पी.नगर, जोन-1,भोपाल मो.-9806768526

96

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1
महाराणा प्रताप नगर भोपाल
क्रमांक 207/राजस्व/भो.वि.प्रा./25
भोपाल, दिनांक 09/04/2025

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित कया जाता है, कि प्राधिकरण की गौतम नगर जमालपुरा योजना में स्थित भूखण्ड क्र.-123 सेक्टर-डी, वर्तमान में श्रीमती कमला जैन पत्नी स्व. श्री निर्मल चंद जैन के नाम पर आवंटित है। आवंटी श्रीमती कमला जैन का स्वर्गवास दिनांक 13/08/2024 हो जाने के कारण आवंटी का पुत्र श्री संजय जैन आ. स्व. श्री निर्मल चंद जैन ने आवेदन पत्र, के साथ शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड पेन कार्ड एवं पंजीकृत वसीयत की छायाप्रति संलग्न कर उक्त भूखण्ड का अपने नाम पर नामांतरण चाहाँ गया है। यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अन्दर लिखित एवं साक्ष्य/ दस्तावेजों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि के पश्चात कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी. एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

91

न्यायालय नजूल अधिकारी तहसील-कोलार, भोपाल
क्रमांक /अ-6/2024-25

इश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं आवेदिका श्रीमती शशि शर्मा पत्नि श्री डॉ. वाय.आर. शर्मा, एवं श्री वाय.आर. शर्मा आ. स्व. श्री आर.के. शर्मा निवासी ए-70 शक्तिनगर भोपाल म.प्र. द्वारा ग्राम शाहपुरा अरेरा कालोनी स्थित भूखण्ड क्रमांक ई-3/149 क्षेत्रफल 3932 वर्गफीट नजूल भूमि का विक्रय पत्र विलेख के आधार पर पट्टा नामान्तरण बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कि इस न्यायालय में विचाराधीन है। आवेदक व्दारा प्रस्तुत उपरोक्त नजूल भूमि के स्थायी पट्टाधिकार का भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 23/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
तहसील-कोलार, भोपाल

97

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने विक्रेता श्री अनिल कुलासो पिता श्री वलेरियन पॉल कुलासो (वी.पी. कोलाको) निवासी- टीटी नगर, हुजुर, भोपाल (म.प्र.) के स्वत्व, स्वामित्व और आधिपत्य की कृषि भूमि 0.046 हेक्टेयर अर्थात 464.68 वर्गमीटर जिसे सुविधा की दृष्टि से भूखण्ड क्र. 89/ब दिया गया है जो कि खसरा नं. 509 कुल रकबा 5.346 हेक्टेयर का अंश भाग होकर, ग्राम बरखेड़ा नाथू (मुख्य मार्ग से अन्दर), प.ह.नं.-33/49, राजस्व निरीक्षक मण्डल क्र.03, विकासखंड- फन्दा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं-पूर्व दिशा में-खसरा क्र. 509 का शेष भाग/भू.क्र.90, पश्चिम दिशा में-खसरा क्र.509 का शेष भाग/10 फुट चौड़ा रास्ता, उत्तर दिश